Phone(Off. & Res.) 07771-261159

केन्द्रीय विद्यालय, चिरिमिरी

KENDRIYA VIDYALAYA, CHIRIMIRI

(शिक्षा मंत्रालय: भारत सरकार, नई दिल्ली)

[Ministry of Eductioan, Govt. of India, New Delhi]

पोस्ट सोनावानी कॉलरी/**Post- sonawani Collliery**

जिला; कोरिया छ. ग. 497557/ **Dist. Korea (C.G.)**

URL:https://seclchirimiri.kvs.ac.in; Email: chirimirikv@gmail.com

फा.क्र. 37/के.वि.चि. /2023-24/ 35 **दिनांक: 22.08.2023**

कार्यालय आदेश

के.वि.सं.(मुख्यालय), नई दिल्ली आदेश सं. F.11-55/2000-KVS (Vig.)/Pt. 1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के सन्दर्भ में और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, महिलाओं के यौन उत्पीडन पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है |

क्रं	नामावली	नामित किये जाने वाले सदस्य	मोबाइल नंबर	अधिकार क्षेत्र
1.	पीठासीन अधिकारी	डॉ वंदना शेखर, सहायक आयुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर	8005014015	विद्यालय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच करना|
2.	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	श्रीमती उषा लहरे, चाइल्ड लाइन	8435071194	
3.	विद्यालयीन सदस्य	श्रीमती शालिनी सिंह, स्नातकोतर शिक्षिका	9451511511	
4.	विद्यालयीन सदस्य	डॉ विनीता पाण्डेय, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका	7987120069	
5.	सदस्य	श्रीमती एम.आर.कुर्रे, अभिभावक सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति	8103862135	

पीठासीन अधिकारी और उप्रिक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षो से अधिक कार्य नहीं करेंगे | समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे।

1. जांच के सञ्चालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए गैर सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और सम्बंधित उपयुक्त/ विद्यालया के साथ समन्वय करें |
2. एनजीओ के सदस्य के साथ समन्वय करें और यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाये और सुविधा प्रदान करें |
3. जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्णय दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा-निर्देशों और मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश के अनुसार की जाएगी|
4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडन के मामले की जाँच करते समय एक एनजीओ सदस्य होना अनिवार्य है।
5. शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों/ सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है |

एन के सिन्हा
प्राचार्य

वितरण :-

1. समिति के पीठासीन अधिकारी
2. समिति के सदस्य/गैर सरकारी संगठन के सदस्य
3. केंद्रीय विद्यालय चिरिमिरी, विषयवस्तु दिनांकित पावती के साथ समस्त कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाये|